रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एम0 एम0/13-14/94.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 16 जुलाई, 1994/25 आषाढ़, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 5 जुलाई, 1994

विषय.—हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अधीन "कारण बताओ नोटिस"।

संख्या पी0सी0एन0-एम0 डन0 डी0-ए(5)90/94-2543-2546.—यतः ग्राम निवासी पंचायत क्षेत्र गोपालपुर, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा एक प्रतिवेदन श्री नागेन्द्र सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत गोपालपुर के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया है, जिसमें निम्न आरोप लगाये गए हैं:—

1. यह कि दिनांक 30-5-92 को ग्राम सभा गोपालपुर की बैठक श्री प्रकाश चन्द गुलेरिया, उप-प्रधान की अध्यक्षता में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवारों के चयन हेतु हुई। उक्त श्री नागेन्द्र सिंह नेगी, प्रधान ने श्री सुशील कुमार, ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी से रजिस्टर कार्यवाही छीन लिया, और जिन परिवारों का चयन उप-प्रधान की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा बैठक में किया गया था, की कार्यवाही के रजिस्टर के पृष्ठ फाड़ डाले, कुछ परिवारों को अपनी मर्जी से शामिल किया गया।

2. यह कि वर्ष अप्रैल, 1993 में मेला नलवाड़ हेतु श्री नागेन्द्र सिंह नेगी, प्रधान ने खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी गोपालपुर स्थित तरकाघाट के कार्यालय से मु0 500/- रुपये की राशि प्राप्त की परन्तु उक्त राशि को न तो पंचायत रोकड़ में दर्ज करवाया और न ही इस राशि का कोई हिसाब पंचायत में प्रस्तुत किया, जबकि पंचायत ने राशि को खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी से प्रस्ताव द्वारा कोई मांग भी नहीं की थी। इस तरह मु0 500/- रुपये का दुरूपयोग किया गया है।

3. यह कि वर्ष, 1992 में प्रधान ने प्रत्येक राशन कार्डधारक से एक रुपया फालतू पंचों के माध्यम से बिना रसीद इकट्ठा करवाया, जिसका पंचायत में कोई लेखा-जोखा नहीं रखा गया और मु0 1050/- रुपये का दुरूपयोग किया गया।

4. यह कि वर्ष, 1993 में भी इसी तरह प्रत्येक राशन कार्डधारक से पंचों के माध्यम से मु0 1/- रुपया अधिक बिना रसीद के एकत्रित करवाया गया परन्तु इसका भी कोई इन्द्राज पंचायत रोकड़ में नहीं करवाया गया। इस प्रकार प्राप्त राशि का दुरूपयोग किया गया।

5. यह कि उक्त श्री नागेन्द्र सिंह नेगी, प्रधान ने छिन्ज के आयोजन के लिए प्रपत्र संख्या-6 पर धन इकट्ठा किया, जिसका कोई भी हिसाब-किताब पंचायत को प्रस्तुत नहीं किया और लगभग पांच या छः हजार रुपये की राशि का दुरूपयोग किया गया।

और यह कि उक्त आरोपों की पुष्टि के लिए खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी गोपालपुर ने दिनांक 21-5-94, 6-6-94 और 13-6-94 को पंचायत अभिलेख का निरीक्षण किया और पंचायत क्षेत्र के लोगों द्वारा लगाये गये आरोप संख्या (1) के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया है कि वास्तव में उक्त श्री नागेन्द्र सिंह नेगी, प्रधान ने ग्राम सभा की कार्यवाही के कुछ पृष्ठ ही नहीं फाड़े, बल्कि ग्राम सभा की कार्यवाही में भी फेरबदल किया। आरोप नं0-2 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया कि वास्तव में मु0 500/- रुपये का कोई हिसाब पंचायत रोकड़ में दर्ज नहीं और न ही यह राशि जिस प्रयोजन हेतु दी गई थी, उस पर व्यय की गई है। आरोप नं0-3 व 4 के सम्बन्ध में यह पुष्टि की है कि वर्ष, 1992 में 1054/- व वर्ष, 1993 में मु0 1050/- रुपये राशन कार्ड की अतिरिक्त राशि एकत्रित की गई, जिसका कोई लेखा-जोखा पंचायत रोकड़ में नहीं रखा गया। इस प्रकार मु0 2104/- रुपये के दुरूपयोग/गबन का प्रकटीकरण होता है। इसी प्रकार आरोप संख्या-5 के सम्बन्ध में यह व्यक्त किया है कि प्रपत्र संख्या-6 में छिन्ज के लिए मु0 14877/- की राशि एकत्रित की और वर्ष, 1994 में भी प्रपत्र संख्या-6 पर ही राशि एकत्रित की है, परन्तु इसका कोई भी हिसाब पंचायत में नहीं रखा गया है, जबकि प्रपत्र संख्या-6 पर एकत्रित की गई राशि सभा निधि में आती है।

और यह कि उक्त श्री नागेन्द्र सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत गोपालपुर ने अपने तथा सभा निधि का दुरुपयोग किया है तथा सभा निधि के दुर्विनियोग/दुरूपयोग का प्रकटीकरण होता है। ऐसे व्यक्ति का प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पद पर बने रहना जनहित में नहीं जान पड़ता।

अतः मैं, तरुण श्रीधर (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित है, श्री नागेन्द्र सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत गोपालपुर, विकास खण्ड गोपालपुर को आदेश देता हूं कि वह कारण बतायें कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 145 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाये। उन्हें यह भी आदेश देता हूं कि वह अपहरित राशि 18 प्रतिशत वाणिज्य दर ब्याज सहित ग्राम पंचायत गोपालपुर के लेखा में 7 दिन के अन्दर-अन्दर जमा कराएं। उनका उत्तर इस "कारण बताओ नोटिस" के जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा आगामी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

मण्डी, 6 जुलाई, 1994

संख्या पी0 सी0 एन0 एम0 एन0 डी0-ए0 (1)/92-2547-51.—यतः अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत हुआ है कि श्री भाल चन्द्र भारद्वाज सपुत्र श्री टिबलु, निवासी गांव दुबल ने मुहाल दुब्बल में भूमि

खसरा नम्बर 2580/2578/1 रकबा लादादी 0-1-0 बीघा मलकियत हिमाचल प्रदेश सरकार पर अवैध रूप से कब्जा करके गैर मुमकीन स्टोर चादर पोश एक मंजिल निर्मित किया है और उक्त नाजायज कब्जे को हटाने के लिए गिरदावर को तत्काल आदेश दिए गए हैं।

और यह कि उक्त श्री भाल चन्द्र भारद्वाज, वर्तमान में पंचायत समिति चौंतड़ा में अध्यक्ष पद पर आसीन हैं।

और यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) के प्रावधान अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सभा की या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहित किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब तक की उस तारीख से जिसको उसे उसने बेदखल किया गया हो, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा :

और यह कि यह प्रश्न कि क्या उक्त श्री भाल चन्द्र भारद्वाज, अध्यक्ष पंचायत समिति चौंतड़ा उप-धारा (1) के अधीन निरर्हता के अधीन है या हो गया है के सम्बन्ध में सुनाई का अवसर प्रदान करना न्याय संगत होगा।

अतः मैं तरुण श्रीधर, (भ0 प्र0 से0) उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) (II) के अन्तर्गत निहित है, श्री भाल चन्द्र भारद्वाज, अध्यक्ष पंचायत समिति चौंतड़ा को अवसर प्रदान करता हूं कि वह कारण बताएं, कि क्यों न उन्हें अध्यक्ष तथा पंचायत समिति के प्राथमिक सदस्य के पद से हटाया जाए और अध्यक्ष एवं प्राथमिक सदस्य का पद रिक्त घोषित किया जाये। उनका उत्तर इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर-भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी।

तरुण श्रीधर,
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी